:: न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राज.) ::

क्रमांक: 11 दिनांक: 22/03/24

:: आदेश ::

इस कार्यालय के पूर्व आदेश **क्रमांक 07 दिनांक 01.03.2024** में आंशिक परिवर्तन करते हुए **दिनांक 23.03.2024, 24.03.2024 व 25.03.2024** होली के राजकीय अवकाशों में **श्री शारिक हुसैन, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना जिला, झालावाड़** की लगाई गई रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त कर उक्त **दिनांक 23.03.2024, 24.03.2024 व 25.03.2024** के राजकीय अवकाशों के दिन झालावाड़ न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड अभिवृद्धि व अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य, जिसमें धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान एवं मृत्युकालिक कथन लेखबद्व करना व धारा 176 (1क) के तहत मृत्यु समीक्षा जॉच करना शामिल है, को करने के लिए **श्री राजपाल मीना, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमहला जिला झालावाड़** को अधिकृत किया जाता है। इसके अलावा पूर्व का मूल आदेश यथावत रहेगा।

-Sd-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड।

क्रमांक: 272 दिनांक: 22/03/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

01. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़
02. श्री शारिक हुसैन, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना।
03. श्री राजपाल मीना, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमहला।
04. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे ।
05. प्रभारी अधिकारी वायर लैस केन्द्र झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड़ जिले के समस्त थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे ।
06. आदेश/संबंधित पत्रावली ।
07. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को झालावाड न्याय क्षेत्र की Website-jhalawar.dcourts.gov.in पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़।